निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1935 (शo)
(सं0 पटना 492) पटना, वृहस्पतिवार, 27 जून 2013

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
30 मई 2013

सं0 निग/सारा–10 भवन–मं0म0–42/09–4325 (एस)—श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग को पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 018/2009 के आधार पर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 3421 (भ) दिनांक 13.05.09 द्वारा निलंबित करते हुए आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर पत्रांक 4320 (भ) अनु0 दिनांक 12.06.09 द्वारा विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा पथ निर्माण विभाग को की गयी। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त आरोप पत्र एवं अनुशंसा के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13549 (एस) अनु0 दिनांक 24.11.09 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पुनः उक्त मामले से ही संबंधित भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 7070 दिनांक 08.09.10 द्वारा प्राप्त पूरक आरोप को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9224 (एस) अनु0 दिनांक 12.08.11 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही के साथ पूरक आरोप के रूप में सन्निहित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 74 दिनांक 03.05.12 में श्री कुमार के विरूद्ध गठित 11 आरोपों में से 10 आरोपों को प्रमाणित एवं 1 आरोप को अप्रमाणित तथा अनुपूरक एक आरोप को प्रमाणित माने जाने का मंतव्य दिया गया। तद्आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 5647 (एस) अनु0 दिनांक 23.05.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री कुमार ने अपने पत्रांक 4 कैम्प, पटना दिनांक 22.08.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया। श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मूल रूप में निम्न बातें अंकित की गयी यथा– आरोप से संबंधित वर्णित योजनाओं का बी0ओ0क्यू0 का बिक्री किसी चहेते संवेदक के पक्ष करने का कोई साक्ष्य विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, कुल 9 योजनाओं में कोई योजना वृहद नहीं थी, किसी कार्यालय से किसी दो निविदाकारों को किसी कार्य के लिए निर्गत परिमाण विपत्र किसी व्यक्ति विशेष के पास पाये जाने की स्थिति पर परिमाण विपत्र बिक्री करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, संचालन पदाधिकारी द्वारा यह परिकल्पना कर ली गयी कि दिनांक 12.03.09 को निगरानी विभाग द्वारा जाँच के कारण आनन–फानन में निविदा प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी जबकि इसका कोई ठोस साक्ष्य विभाग द्वारा नहीं दिया गया, ए0जी0 कॉलोनी पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं पानी निकासी की व्यवस्था का परिमाण विपत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं था इस पृष्ठभूमि में यह विक्रय दिनांक 12.03.09 को संभव नहीं था फलतः अन्य 8 योजनाओं के साथ इस योजना की निविदा प्रक्रिया स्थगित की गयी। अनुपूरक आरोप के संबंध में कहा है कि वह मात्र

प्रक्रियात्मक चूक से संबंधित है जिसका मूल दायित्व प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी का है उक्त आधार पर श्री कुमार ने आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया।

3. श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि जिन तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया को क्षांत करने के संबंध में श्री कुमार द्वारा कोई ठोस कारण पृच्छा उत्तर/साक्ष्य नहीं दिया गया है। स्पष्टतः यदि निगरानी विभाग के माध्यम से यह मामला प्रकाश में नहीं आता तो श्री कुमार निविदा manage कर किसी खास व्यक्ति को कार्य आवंटित करने में सफल हो जाते। इस तरह श्री कुमार को व्यक्तिगत लाभ एवं चहेते संवेदक को कार्य आवंटित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में अनियमितता के लिए दोषी मानते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार को "सहायक अभियंता के निम्नतर कालमान वेतन, कोटि एवं पद पर सदा के लिए अवनति" के दंड प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदनांपरांत विभागीय पत्रांक 839 (एस) अनु0 दिनांक 01.02.13 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 319 दिनांक 14.05.13 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। तदआलोक में श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(क) सहायक अभियंता के निम्नतर कालमान वेतन, कोटि एवं पद पर सदा के लिए अवनति।

5. श्री कुमार को भविष्य में पूरे सेवाकाल में अकार्य में पदस्थापित किया जाय।

6. सरकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त करने का आदेश पारित है अतः संबंधित आदेश निर्गत करने एवं निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 492-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in